

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर दिनांक **07 SEP 2016**

- क्रमांक एफ 2-54/2016/सात-2:: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.06.2016 द्वारा विभाग में कार्यरत नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के पद पर पदोन्नत करते हुए विभिन्न जिलों में पदस्थ किया गया है। इसी तरह विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.06.2016, 20.07.2016 तथा 30.07.2016 द्वारा पूर्व से कार्यरत नायब तहसीलदार/तहसीलदारों को अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है।
- 2/ उपरोक्तानुसार पदोन्नत तथा स्थानान्तरित नायब तहसीलदार/तहसीलदारों को अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए भारमुक्त करने के निर्देश पूर्व में दिए गये हैं, लेकिन राज्य स्तरीय समीक्षा में यह पाया गया, कि अभी तक केवल 60 प्रतिशत अधिकारियों को भारमुक्त किया जा सका है तथा शेष अधिकारी अभी भी अपने पूर्व पदस्थापना स्थल पर कार्यरत हैं, जिससे विभागीय कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही है। प्रत्येक नियंत्रणकर्ता अधिकारी यह चाहता है, कि पहले उनके जिले में आने वाला अधिकारी कार्यभार ग्रहण करे, तत्पश्चात उनके द्वारा बाहर जाने वाले अधिकारी को भारमुक्त किया जावेगा। इससे समय-सीमा में भारमुक्त संभव नहीं है।
- 3/ अतः राज्य शासन एतद्वारा पदोन्नत तथा स्थानान्तरित होकर भारमुक्त हेतु शेष प्रदेश के सभी तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को कल दिनांक 08.09.2016 को अपरान्ह से उनके नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए एक पक्षीय भारमुक्त करता है।
- 4/ यह भी निर्देशित किया जाता है, कि एक पक्षीय भारमुक्त करने की तिथि 08.09.2016 के बाद उपरोक्तानुसार भारमुक्त अधिकारियों द्वारा अपने पूर्व पदस्थापना स्थल पर शासकीय कार्य का सम्पादन किया जाता है, तो उसे अनाधिकृत कृत्य माना जावेगा तथा इस हेतु उनके ऊपर नियमानुसार अनुशानात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 5/ न्यायालयीन निर्णय के पालन में कार्य कर रहे अधिकारियों के ऊपर यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

32.
(मी० निहालें मी०)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
3. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर,
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़,
7. व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जांच पटल/गोपनीय फोल्डर/गार्ड फाइल,
8. राजस्व विभाग की वेबसाईट में www.cg.nic.in/revenue में अपलोड हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

32.
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग